झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–273 / 2019

शाखा प्रबंधक, राष्ट्रीय बीमा कंपनी लि0 ..... याचिकाकर्त्ता

बनाम

विद्यावती देवी और अन्य ..... विपक्षीगण

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री (डॉ0) एस0एन0 पाठक**

(वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)

याचिकाकर्त्ता के लिए : श्री गणेश झा, अधिवक्ता

विपक्षीगण के लिए :

04 / 14.09.2020 कोविड–19 महामारी के प्रकोप के मद्देनजर यह मामला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उठाया गया है।संबंधित वकीलों को इस कार्यवाही के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है, जो आज सुबह 10:30 बजे के बाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई है। उन्हें ऑडियो और वीडियो स्पष्टता और गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत नहीं है।

यह सी0एम0पी0, एम0ए0 सं0–245 / 2015 की पुनःस्थापन के लिए दायर किया गया है, जिसे दिनांक 07.03.2019 के अनुल्लंघनीय आदेश का पालन न करने के लिए दिनांक 14.03.2019 को खारिज कर दिया गया था।

श्री जी0सी0 झा, याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित होने वाले वकील ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि व्यक्तिगत कारणों के कारण, क्योंकि उनके साथ एक दुर्घटना हो गया था, न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है।

यह याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि पहले से ही अपेक्षिताएं आदि की प्रक्रिया दायर की गई है, उसी का उपयोग कार्यालय द्वारा किया जा सकता है।

विद्वान अधिवक्ता तीन सप्ताह की अवधि के भीतर त्रुटियों को दूर करने का अभिवचन करता है।

विद्वान अधिवक्ता के निजी कारणों के आधार पर, इस सी0एम0पी0 की अनुमति है और एम0ए0 सं0—245/2015 को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाता है।

((डॉ0) एस0एन0 पाठक, न्याया0)